**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**

**पीठासीन अधिकारीः– प्रभा गौतम** (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 42/2025 (GCMS 2025/42 | 19.05.2025 | 03.11.2025 |

**उनवान**

सरकार जरिये घनश्याम लाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी**

**बनाम**

1–दीपक रेबारी पुत्र गौतमलाल रेबारी (मैनेजर) मैसर्स कम्पास फूड इण्डिया सर्विस, जिंक नगर कॉलोनी, कपासन रोड़, चित्तौड़गढ़
2–मैसर्स कम्पास फूड इण्डिया सर्विस, जिंक नगर कॉलोनी, कपासन रोड़, चित्तौड़गढ़
3–जितेश डेम्बला पुत्र रमेश डेम्बला, मैसर्स राज एग्रो, 103 कृषि उपज मण्डी उदयपुर (राज.)
4–मैसर्स मीरा एजेन्सी 244ए आरडी/17, विज्ञान समिति के सामने, माया मिष्ठान अशोक नगर, उदयपुर (राज.)
5–मैसर्स गुजराज कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड़, उदयपुर जीसीएमएमएफ लिमिटेड़, उदयपुर प्लॉट नं. 2 आराजी नं. 132 एम, 4211/1323 बलिचा मैन रोड़, उदयपुर (राज.)

**अप्रार्थी**

**–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–**

## –:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम लाल शर्मा ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे थे। इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान के आदेश कमांक खा.सु. एवं औ.नि./संस्था/2022/3235 दिनांक 22.12.2022 अनुसार कार्यक्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2024 को समय 12.30 पी. एम. पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत निरीक्षण हेतु मैसर्स कम्पास फूड इण्डिया सर्विस जिंक नगर, कपासन रोड़, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। वहां दीपक रेबारी उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से भोजन बनाने हेतु खाद्य पदार्थ Paneer (Amul), दूध, दही, हल्दी, बेसन, आटा आदि खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता को खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जो उनके द्वारा मौके पर दिखाया गया। मौके पर गवाहान की उपस्थिति मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म पर एक फ्रिज में लगभग 1–1 किलोग्राम के 03 Paneer (Amul) के पैक पैकेट प्रिपेड फूड बनाकर विक्रय करने हेतु रखे पाये गये। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर V A की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त Paneer (Amul) 1 किलोग्राम का पैक पैकेट जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 435/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा

गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए जो मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 4 लेबल तैयार किए जिन पर नमूना कोड व क्रमांक, दिनांक, स्थान, स्वयं गवाह तथा विक्रेता के हस्ताक्षर अंकित करवाये। खरीदशुदा Paneer (Amul) पैके पैकेट को लूज कर गवाह को गवाह तथा विक्रेता को दिखाकर 4 साफ–सुखे एवं खाली कागज के गत्ते के डिब्बे में प्रत्येक में 250–250 ग्राम Paneer (Amul) लिया तथा प्रत्येक नमूना डिब्बे पर उपरोक्त लेबल गोन्द से चिपकाये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर कागज के दोनों सिरों को मोड़कर गोन्द से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या ए एम–2045 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर से लेकर नीचे पेंदे तक गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 सील चपडी लगाई। एक सील नमूना भाग के सीरे पर, एक पेंदे पर एवं दाईं व बाईं ओर लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप से रेपर पेपर तक तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर किये तथा मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता/मालिक व गवाहान ने भी पढ़कर, सुनकर व समझकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना चपडी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में नमूना वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर में जमा करवाने हेतु भिजवाया गया। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ नमूना तथा फॉर्म नं. 6,

प्रयोगशाला में जमा कराई जाने की रसीद की असल प्रति संलग्न है। शेष तीन नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की तीन प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 27.04.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंधित समस्त दस्तावेज अभिहीत अधिकारी को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र दिनांक 23.02.2025 से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड Paneer (Amul) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 घनश्याम लाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (नमूना लेना, इस्तगासा आदि प्रस्तुतकर्ता) गवाह संख्या 2 महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह एवं नमूना जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा हेतु वाहक) गवाह संख्या 3 डॉ. ताराचन्द गुप्ता, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु अधिकृत करने तथा पेपर स्लिप आदि जारी करने बाबत) गवाह संख्या 4 डॉ. रवि सेठी, खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर (नमूना जांच रिपोर्ट जारीकर्ता) गवाह पेश किये तथा अपने परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र/नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 3 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बसन्तीलाल पोखरना ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण ने सबस्टैण्डर्ड Paneer (Amul) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

अप्रार्थी संख्या 3 का मुख्य कथन यह रहा कि अप्रार्थी की फर्म एक नामी फर्म है जो कानून–कायदे का पालन करने वाली फर्म होकर निर्देशित प्रावधानों का पालन करते हुए खाद्य पदार्थों का क्रय–विक्रय करती है। अप्रार्थी की फर्म ने मीरा एजेन्सी, अशोक नगर उदयपुर से गुजरात कॉ–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का राष्ट्रीय ब्राण्ड अमूल का टैक्सशुदा एक लॉट अमूल पनीर का खरीदा था। उक्त प्रोडक्ट को नियमानुसार शीतलन पक्ष मे उचित तापमान में रखते हुए अपने यहां संरक्षित किया तथा दिनांक 04.04.2024 को कम्पास फूड सर्विस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड़ को उनके क्रय आदेशानुसार 15 किलोग्राम विक्रय किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री घनश्याम लाल शर्मा द्वारा उक्त प्रोडक्ट का पैक्ड अवस्था में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड़ में कम्पास फूड सर्विस इण्डिया प्रा. लि. से नमूना लिया था। अप्रार्थी की फर्म ने अप्रार्थी संख्या 4 से उक्त Paneer (Amul) पैक्ड अवस्था में क्रय करके आगे अप्रार्थी संख्या 2 को पैक्ड अवस्था में ही विक्रय किया गया था। उक्त खाद्य प्रदार्थ में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि परिवाद में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को क्योंकर अभियोजित किया गया है जिससे परिवाद निरस्त योग्य है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पत्र दिनांक 27.05.2024 जो परिवाद के साथ संलग्न है उसमें दीपक रेबारी के पिता का नाम ही गलत अंकित किया गया है एवं कथित खाद्य पदार्थ का नमूना विक्रेता दीपक रेबारी के पास पूर्णतः सुरक्षित हालत में रहा हो उसके पैक में कोई मिलावट नहीं की गयी हो, इस संबंध में परिवाद में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं जिससे अभियुक्त संख्या 4 व 5 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद निरस्तनीय है। अतः अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ Paneer (Amul) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 19.04.2024 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.04.2024 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ Paneer (Amul) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-2045** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 28 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य

पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 एवं 8 खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना प्राप्त होने की रसीद एवं फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक महेन्द्र सिंह के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-2045** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 7 एवं 8 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 7 व 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्र सिंह द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 22.04.2024 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(**ii**) एवं 2.4.1(10)(**iii**) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 एवं 11 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 1524 दिनांक 27.05.2024 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 218/ACT 2024/218 Dated 30-04-2024** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 218/ACT 2024/218 Dated 30-04-2024** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम लाल शर्मा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 28 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 24.04.2024 से 30.04.2024 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Paneer (Amul) bearing code no. and serial no. AM-2045 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh is sub-standard food. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the food safety & Standards Act 2006.**

उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-2045** Paneer (Amul) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सबस्टैण्डर्ड (अवमानक) स्तर का पाया गया है। इसमें दूध वसा की मात्रा (dry matter basis परीक्षण के आधार पर) निर्धारित मानक से बहुत कम पाई गई है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक 1524 दिनांक 27.05.2024 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2025/316 दिनांक 23.02.2025 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 17 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का कथन है कि परिवाद में अप्रार्थी संख्या 1 दीपक रेबारी के पिता का नाम गलत अंकित किया है तथा दीपक रेबारी के पास उक्त खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहा हो तथा उसके द्वारा खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की गई हो इस संबंध में परिवाद में कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अप्रार्थी संख्या 1 दीपक रेबारी के पिता का नाम परिवाद में गोतलाल रेबारी अंकित है जो कि टंकण त्रुटि से गोतमलाल के बजाए गोतलाल रेबारी अंकित हुआ है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री घनश्याम लाल शर्मा द्वारा दिनांक 19.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 के यहां से उक्त खाद्य पदार्थ Paneer (Amul) के एक किलोग्राम का

पैक पैकेट जांच हेतु खरीदा है जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण/अप्रार्थीगण जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता एवं निर्माता है जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1–दीपक रेबारी पुत्र गौतमलाल रेबारी (मैनेजर) मैसर्स कम्पास फूड इण्डिया सर्विस, जिंक नगर कॉलोनी, कपासन रोड़, चित्तौड़गढ़, अप्रार्थी संख्या 2–मैसर्स कम्पास फूड इण्डिया सर्विस, जिंक नगर कॉलोनी, कपासन रोड़, चित्तौड़गढ़, अप्रार्थी संख्या 3–जितेश डेम्बला पुत्र रमेश डेम्बला, मैसर्स राज एग्रो, 103 कृषि उपज मण्डी उदयपुर (राज.), अप्रार्थी संख्या 4–मैसर्स मीरा एजेन्सी 244ए आरडी/17, विज्ञान समिति के सामने, माया मिष्ठान अशोक नगर, उदयपुर (राज.) एवं अप्रार्थी संख्या 5–मैसर्स गुजराज कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड़, उदयपुर जीसीएमएमएफ लिमिटेड़, उदयपुर प्लॉट नं. 2 आराजी नं. 132 एम, 4211/1323 बलिचा मैन रोड़, उदयपुर (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

**49. General provisions relating to penalty.**

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

**51. Penalty for sub-standard food.**

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

चूंकि अप्रार्थीगण की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अप्रार्थीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। किन्तु विपक्षी/अप्रार्थी संख्या 4–मैसर्स मीरा एजेन्सी 244ए आरडी/17, विज्ञान समिति के सामने, माया मिष्ठान अशोक नगर, उदयपुर (राज.) एवं अप्रार्थी संख्या 5–मैसर्स गुजराज कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड़, उदयपुर जीसीएमएमएफ लिमिटेड़, उदयपुर प्लॉट नं. 2 आराजी नं. 132 एम, 4211/1323 बलिचा मैन रोड़, उदयपुर (राज.) जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के स्टॉकिस्ट होकर डिस्ट्रीब्यूटर एवं निर्माता हैं जो कि प्रकरण में स्वयं पक्षकार होकर विपक्षी संख्या 4 व 5 हैं जिससे अप्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 से 3 को अर्थदण्ड से मुक्त किया जाता है। अतः अभियुक्त संख्या 4 एवं 5 को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 4–मैसर्स मीरा एजेन्सी 244ए

आरडी/17, विज्ञान समिति के सामने, माया मिष्ठान अशोक नगर, उदयपुर (राज.) एवं अभियुक्त संख्या 5–मैसर्स गुजराज कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड़, उदयपुर जीसीएमएमएफ लिमिटेड़, उदयपुर प्लॉट नं. 2 आराजी नं. 132 एम, 4211/1323 बलिचा मैन रोड़, उदयपुर (राज.) को संयुक्त रूप से राशि रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़